

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तर्गत आवेदन-

सेवा में,

श्रीमान ज्ञ सूचना अधिकारी  
उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० उपकेन्द्र  
ट्याटो जिला बाघपत ।

लिखाय :- सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के अर्न्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन

महोदय,


प्राथम्य को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तर्गत नीचे लिखी सूचनाओं का लिखित स्पष्ट उत्तर दिया जाना आवश्यक है -

- प्र-1- आपके विद्युत केन्द्र पर जो विद्युत लाईन आ रही है उनके लिये जो छाम्बे [पोल] किसानों के छोटों में लगाये गये है क्या किसानों से आपने वह जमीन खारीदो है यदि किसानों से यदि उक्त जमीन खारीदो गयी है तो कितना मुआवजा दिया गया है।
- प्रश्न 2- आपके विद्युत लाईन के लिये छाम्बों के लिये अगर जमीन नहीं खारीदो तो किस नियम के तहत वह छाम्बों किसानों की जमीन में लगाये है और कितने समय के लिये लगाये है और कितना मुआवजा किसानों को दिया गया है ?
- प्र-3- आपके विद्युत लाईन के लिये जो छाम्बों लगाये गये है उनका मुआवजा प्रत्येक छाम्बों के लिये कितना दिया है ?
- प्र-4- आपने विद्युत लाईन के लिये जिन किसानों के छोटों के उपर से लाईन गुजारी गयी है क्या उसका मुआवजा प्रदान किया गया है ?

यदि प्राथम्य द्वारा मांगी गयी सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जाते ।

प्राथम्य द्वारा मांगी गयी जानकारी के लिये शुल्क के रूप में पोस्टल आर्डर नं०-  
अंकन-10 रुपये का <sup>नोट</sup> 321379685 का साटा सलम किया जा रहा है ।  
अतः प्राथम्य को उपरोक्त सूचना तुरन्त प्रदान कराने की कृपा करे ।

दिनांक- 15/09/22

प्राथम्य  
  
Javed Tomar  
Advocate  
Reg.No.-UP-07758/18  
Civil Court, Baghpat  
Mob- 8191281000

